न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 36/2019 जिला टोंक

राकेश बनाम सरकार

राकेश कुमार वर्मा पुत्र रतन लाल वर्मा जाति रैगर, निवासी रेल्वे स्टेशन मालपुरा, तह–मालपुरा,जिला टोंक।

–अपीलांट

बनाम्

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा ,जिला टोंक

2.बनवारी लाल पुत्र भागीरथ बैरवा निवासी महरू जरिये अध्यक्ष, बैरवा समाज छात्रावास विकास समिति (छात्रावास निर्माण हेतु) मालपुरा, जिला टोंक।

–रेस्पोडेंट

————————————————

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विधवान उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 1/2019 सरकार बनाम् अध्यक्ष बैरवा समाज दिनांक 13.09.2019 मे पारित निर्णय के विरूद्ध

उपस्थित अभिभाषकः–दिनेश कुमार साहू

राजकीय अभिभाषकः–आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः–29.12.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 1428/297/5 हाल ख0न0 1428/189 रकब 1.01 बीघा गांव बृजलालनगर जिला कलक्टर टोंक के आदेश दिनांक 04.04.2011 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल,कॉलेजो,चिकित्सालयों,धर्मशालाओ एवं लोको उपयोगी भवन निर्माण हेतु अनाधीवासित भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत निर्धारित शर्तो पर छात्रावास निर्माण हेतु बैरवा समाज छात्रावास विकास समिति को निःशुल्क आवंटित की गई थी। आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटी संस्था को आवंटित भूमि पर 2 वर्षों के भीतर छात्रावास का निर्माण करना था किन्तु संस्था द्वारा आवंटी भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया गया। आवंटन आदेश दिनांक 04.04.2011 की शर्त संख्या 3 एवं 5 के अनुसार आवंटी संस्था को भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता था। मगर आवंटी संस्था के अध्यक्ष के मार्फत संस्था द्वारा वर्तमान अपीलांट राकेश कुमार वर्मा के पक्ष में 0.14 भूमि का बेचान कर दिया गया। जिसके नं0 1428/2 अंकित किये गए। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा क्रेता (अपीलांट) के पक्ष नामांतरण नं0 3623 दिनांक 05.10.2016 को स्वीकृत कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

अब्दुल हसीद द्वारा अपनी खातेदारी भूमि 1346/292 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 15 बिस्वा भूमि को आवंटी संस्था को विक्रय की गई। खसरा नं0 1345 रकबा 11 बिस्वा भूमि के सह खातेदारो द्वारा संस्था को अपनी भूमि विक्रय की गई है।

संस्था द्वारा ही दिनांक 19.08.2016 को 12 बिस्वा भूमि का रजि0 विक्रय पत्र एक अन्य व्यक्ति जगदीश प्रसाद के पक्ष में किया गया। इस विक्रय पत्र के आधार पर भी ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा नामांतकरण संख्या 3622 दिनांक 05.10.2016 को स्वीकृत किया गया था।

तहसीलदार द्वारा उपरोक्त विक्रय पत्र जो संस्था द्वारा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में किये गए थे को कानून के विपरित मानते हुए उपखण्ड अधिकारी मालपुरा न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर नामांतकरण को निरस्त करने बाबत् निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय मालपुरा द्वारा सुनवाई करते हुए उक्त पत्रावली संख्या 1/2019 दिनांक 13.09.2019 को निर्णय देते हुए नामांतकरण संख्या 3623 दिनांक 05.10.2016 को निरस्त कर दिया। इससे रूष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त अपील की गई।

अपील मीमो का अवलोकन किया गया। अपील न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब की गयी। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड प्राप्त किया गया।

अपील में अपीलांट ने मुख्य रूप से निम्न आधार बताए गए है—1. नामांतकर संख्या 3623 विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया था तथा विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना नामांतकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता था। अपीलांट का कब्जा है।

2. प्रथम अपील जो तहसीलदार द्वारा मियाद अवधि के बाहर दर्ज करवायी गई थी। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु को तय किये बिना ही फैसला कर दिया गया जो कि गलत है। ऑर्डर 41 रूल 3ए में सीपीसी की पालना नहीं की गई थी अतः उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 13.09.2019 को निरस्त किया जाये तथा नामांतरण संख्या 3623 दिनांक 05.10.2016 को पुनः यथावत रखते हुए आदेश प्रदान किये जायें।

बहस मौखिक सुनी गई, बहस में अपील के तथ्यों को दौहराया गया अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपीलांट व रेस्पो0 न0 2 के मध्य राजीनामा हस्ताक्षर होकर अपीलांट अभि0 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामें को आवश्यक कार्यवाही कर पत्रावली पर लिया गया। राजीनामा के अनुसार बैरवा समाज छात्रावास के द्वारा जो आराजी राकेश कुमार को 14 बिस्वा भूमि विक्रय की गई थी उसके बदले में बैरवा समाज छात्रावास विकास समिति को 15 बिस्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र प्राप्त हो गई है। इस प्रकार संस्था को भूमि के बदले भूमि मिल चुकी है। जिस पर वर्तमान में छात्रावास का निर्माण जारी है।

राजकीय अभि0 ने राजीनामा का विरोध करते हुए कथन किये है कि छात्रावास विकास समिति द्वारा जिला कलक्टर टोंक द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 04.04.2011 की शर्तो को दरकिनार करते हुए भूमि अन्य को विक्रय की है तथा भूमि का विनिमय भी किया है जो उचित नहीं है तथा आवंटन नियमों की शर्तों का उल्लघंन करने से राजीनामा को नहीं माना जाये तथा अपील खारिज कर दी जाये।

(1) जहां तक अपीलांट द्वारा मियाद अवधि के बाहर अपील प्रस्तुत करने का प्रश्न है तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रथम अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को नहीं लगाया है यह सही है ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण दिनांक 05.10.2016 को स्वीकृत किया गया था तथा तहसीलदार मालपुरा द्वारा अपील दिनांक 22.02.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा में दायर करना पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील 1/2019 में बैरवा समाज अध्यक्ष एवं अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत जवाब को देखा गया। उसमें धारा 5 मियाद अधिनियम के बारे में कोई बात नहीं की गई है। बाद में धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिया जाकर इस बात को उठाया गया है। तहसीलदार द्वारा धारा 151 सीपीसी का जवाब देते हुए यह बताया कि नामांतकरण आरंभ से ही प्रभाव शून्य नल एंड वोइड है। क्योकि उक्त नामांतकरण कानून के प्रावधानों के विपरित अवैध रूप से भरा गया था। दिनांक 26.04.2018 को उक्त प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार के जवाब पर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया तथा रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी को खारिज करते हुए पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु तय की गई।

उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी याचिका(3920/2018) दायर की। जिसे सुनकर माननीय सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा, स्वीकार करते हुए उपखण्ड न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2018 को खारिज करते हुए प्रार्थना पत्र पर धारा 5 मियाद अधिनियम को सुसंगत रिजन व स्पीकिंग आदेश से तय करने के निर्देश दिये गये तथा पक्षकारान को दिनांक 28.03.2019 को उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिये। उक्त निर्देश के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.08.2019 को अस्वीकार करते हुए दिनांक 26.09.2019 को अपीलाधीन आदेश जारी करते हुए नामांतरण संख्या 3622 को निरस्त कर दिया गया।

जिला कलक्टर टोंक द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 04.04.2011 का अवलोकन किया गया–

शर्त संख्या 3–आवंटित भूमि पर निर्मित भवन एवं आरम्भ की गई संस्था का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हुआ जिसके लिए आवंटित की गई है। और दौराशय से उसका हस्तांतरण आवंटितो, दानगृहिता के परिवार के किसी भी सदस्यों को नहीं किया जायेगा।

शर्त संख्या 5–प्रत्येक शर्त के लिए आवंटी लिखित इकरारनामें से बाध्य होगा तथा प्रारूप एक में 15 दिवस की अवधि में लीज डीड का निष्पादन करवाना होगा। आवंटित भूमि पर सनिर्मित भवन पर आरंभ किये गए संस्थान का उपयोग जनता के लाभ के लिए किया जायेगा। आवंटित भवन और उस निर्मित सभवन का किसी रूप में विक्रय उपपट्टे पर किया जाना या अन्तरण नहीं किया जायेगा।

मगर आवंटी संस्था द्वारा आवंटन आदेश की शर्त संख्या 3 और 5 का उल्लंघन करते हुए संस्था को आवंटित भूमि में से कुछ भूमि विक्रय कर दी गई है। जो आवंटन आदेश की शर्तो का घोर उल्लंघन है।

न्यायालय हाजा. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.09.2019 में कोई त्रुटि नहीं पाता है। **आदेश दिनांक 13.09.2019 को यथावत रखा जाता है।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त द्वितीय अपील 36/2019 ग्राम बृजलालनगर वास्ते ख0न0 1428/2 रकबा 14 बिस्वा, आधारहीन होने से खारिज की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा का आदेश दिनांक 13.09.2019 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:04 IST
Reason: SelfAttested